तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
6.7.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रति पत्र व काउन्टर कॉपी पेश किया प्रति नकल करवाई गई। फर्द मुतालिबा नकल जमाबन्दी हेतु ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्डल मालपुरा तह० मैनवां तथा सर्व शाखा/मूल मालपुरा तह० मैनवां तथा सर्व शाखा ... की प्रतिलिपियों की फोटो प्रतियां पेश किया। की सही अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्डल मालपुरा तह० मैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता सं. 145 के कृषि भूमि खसरा सं. 17# रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख.सं. 172 रकबा 5-07 बीघा, ख.सं. 173 रकबा 8-10 बीघा एवं ख.सं. 176 रकबा 14-13 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार आसामी दर्ज रिकार्ड है। और प्रार्थी सं. 01 लड्डूलाल का हिस्सा 1/18 व प्रार्थिया सं. 02 लाडबाई का हिस्सा 27/42 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 के मध्य आपसी सहमति से मौके पर बाहमी विभाजन हो रहा है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के हिस्से में खसरा सं. 176 / 14-13 भूमि आयी हुई है। जिस पर वर्षों से दोनों काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे ... सं. 1 व 2 का इस भूमि में ... प्रार्थीगण का कोई हक ... के खातेदारी व ... सं. व ख.सं. 189 है ... भूमि ... खसरा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ~~भिन्न~~ प्रार्थीगण व भूमियों के बीच

उपखण्ड अधि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मे खसरा सं. 187 व 188 की भूमि है। जिसमें आम सड़क निकली डामरीकृत निकली हुई है अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 176 पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। एवं यह निवेदन किया है कि खसरा सं. 186 व 189 पर से प्रार्थीगण उन्हे बेदखल न करे। इस सम्बन्ध मे प्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की भूमि ख.सं. 186 व 189 से उनका कोई लेना देना नही है। दोनो पक्षो के वकील इस बात के लिए सहमत है कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 2 मे वर्णित भूमि ख.सं. 176 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपभोग मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेंगें व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की भूमि ख.सं. 186 व 189 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगें। हमनें उपभयपक्षकारान के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, मौका रिपोर्ट दि. 10.7.2020 का अवलोकन किया। हम उपभयपक्षकारान के तर्कों से सहमत है अतः [illegible] स्वीकार किया जाकर ता[illegible] अप्रार्थीगण सं. [illegible] निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख. सं. 176/14-13 वाके ग्राम [illegible]नाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी से प्रार्थीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा ना करें,	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे। न ही किसी अन्य से करवायें। तारबंदी व पेड़ो को नष्ट न करें। साथ ही प्रार्थीगण को तार्फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि भूमि ख.नं. 186 व 189 ग्राम रघुनाथगंज पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही अन्य किसी से करवाये। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहें। आदेश आज दिनांक 6.7.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner